

प्रेषक,

चकबन्दी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश,

लखनऊ

सेवा में,

समस्त बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी /

सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी,

उत्तर प्रदेश

संख्या: 5334 / जी0-415 / 2002

दिनांक: 28 नवम्बर, 2005

विषय: मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस केस नं0 25(सी)/2004 भुजवीर सिंह बनाम प्रतीम सिंह वगैरह तथा अन्य 6 मुकदमों में पारित आदेश दिनांक 23 सितम्बर, 2005 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा संयुक्त रूप से उपरोक्त रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 23 सितम्बर, 2005 की प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से भेजी जा रही है कि इसके पृष्ठ संख्या 29 व 30 पर निर्दिष्ट अनुसंधान के आधार पर जो विधिक आदेश पारित किया गया है, को भविष्य में संज्ञान में लेते हुये आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा उसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(पी0के0 झा)

चकबन्दी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश

संख्या व दिनांक उपरोक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— अपर आयुक्त, मुख्यालय, लखनऊ
- 2— संयुक्त/उप संचालक चकबन्दी, मुख्यालय ।
- 3— विधि प्रकोष्ठ, मुख्यालय ।

(पी०के० झा)

चकबन्दी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश